प्रेस विज्ञप्ति–24/20
प्रेस विज्ञप्ति–24/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बस्ती/थाना हर्रैया

- **01 लाख रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,**
- **02 फैक्ट्रीमेड डी0बी0बी0एल0 गन, 01 अवैध देशी रिवाल्वर, 08 जीवित कारतूस विभिन्न बोर, चोरी की मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 23.10.2020 की सायंकाल थाना हर्रैया, छावनी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम नदायें के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी कमलेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 02 फैक्ट्रीमेड डी0बी0बी0एल0 गन, 01 अवैध देशी रिवाल्वर, 08 जीवित कारतूस विभिन्न बोर, चोरी की मोटर साइकिल बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध लूट, रंगदारी, हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है तथा गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0–886/2016 धारा 223/224 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 01 लाख रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना हर्रैया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कमलेश निवासी कौशल्या घाट थाना रामजन्म भूमि जनपद अयोध्या ।

बरामदगी

1–02 फैक्ट्रीमेड डी0बी0बी0एल0 गन,

2–01 अवैध देशी रिवाल्वर, 08 जीवित कारतूस विभिन्न बोर,

3–01 चोरी की मोटर साइकिल।

जनपद गाजीपुर/थाना सैदपुर

- **50–50 हजार रू0 के पुरस्कार घोषित 02 अपराधी गिरफ्तार,**
- **लूट के 03 लाइसेन्सी असलहे, 02 अवैध पिस्टल मय 05 जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 23.10.2020 को थाना सैदपुर, करण्डा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे क्रासिंग तरावॅ मोड़ से दो पुरस्कार घोषित अपराधी 1–कर्मवीर उर्फ शनि, 2–आनन्द उर्फ ढ़ोलक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूटे गये 03 लाइसेन्सी असलहे, 02 अवैध पिस्टल, 05 जीवित, कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉक 14.10.2020 की रात्रि देवचन्दपुर स्थित पेट्रोल पम्प पर हत्या डकैती की घटित घटना, जिसके सम्बन्ध में थाना सैदपुर पर मु0अ0सं0–523/2020 धारा 147/148/149/307/302/396/323/504/506/ 427 भादवि व 7 सी0एल0 एक्ट अभियोग पंजीकृत है, जिसमें अभियुक्तगण वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु 50–50 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना सैदपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कर्मवीर उर्फ शनि निवासी ग्राम देवचन्दपुर थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर।

2–आनन्द उर्फ ढ़ोलक निवासी ग्राम देवचन्दपुर थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर।

बरामदगी

1–लूटे गये 03 लाइसेन्सी असलहे,

2–02 अवैध पिस्टल, 05 जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल।

जनपद प्रतापगढ़/थाना बाघराय

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**

दिनांक 23.10.2020 को थाना बाघराय पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर लोदीपुर नहर पुलिया के पास से 25 हजार का पुरस्कार घोषित अपराधी नितिन उर्फ गुन्नू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बाघराय पर पंजीकृत मु0अ0सं0—387/2020 धारा 354/305/506 भादवि व 7/8 पॉक्सों एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना बाघराय पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नितिन उर्फ गुन्नू निवासी डिगवट थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

जनपद गोरखपुर /थाना पिपराईच

- **पुलिस कार्यवाही में 15,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा व 01 जीवित कारतूस**
- **01 मोटरसाइकिल बरामद**

दिनांक 24.10.2020 को थाना पिपराईच व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान हरखापुर तिराहे के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त राजकुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा व 01 जीवित कारतूस व 01 मोटरसाइकिल बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना गुलहरिया पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना पिपराईच पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजकुमार निवासी मदनपुर थाना खड्डा जनपद कुशीनगर, हालपता—ब्यास नगर पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा व 01 जीवित कारतूस व 01 मोटरसाइकिल

जनपद अमरोहा/थाना गजरौला

- **05 अपराधी गिरफ्तार**
- **चोरी की 90 बैंट्रिया 01 होण्डा अकोर्ड वाहन, 03 अवैध तमंचा, मय कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 23/24.10.2020 की रात्रि थाना गजरौला पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान बृजधाट गंगा नदी पुलस से 05 अभियुक्तों 1—शोएब, 2—गुलजार, 3—ताजू, 4—बाबू उर्फ तालिब, 5—अरूण कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी/लूट की 90 बैटरियां, 01 होण्डा अकोर्ड वाहन, 03 अवैध तमंचा, 06 जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

इस संबंध में थाना गजरौला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शोएब निवासी कैलाश नगर गली नं0—3 थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद। 2—गुलजार निवासी डासना गेट मो0 कस्सा बांध थाना कोतवाली घंटाघर जनपद गाजियाबाद।
3—ताजू निवासी ग्राम नगल रोमी थाना खुर्जा जनपद बुलन्दशहर।
4—बाबू उर्फ तालिब निवासी मोहल्ला प्रताप बिहार थाना विजयनगर जनपद गालियाबाद।
5—अरूण कुमार निवासी फेश—05, गली नं0—5 थाना करावलनगर,पुरानी दिल्ली।

बरामदगी

1—चोरी/लूट के 90 बैटरियां।
2—01 होण्डा अकोर्ड वाहन।
3—03 अवैध तमंचा, 06 जीवित कारतूस आदि।

जनपद शामली /थाना कांधला

- **01 वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की 08 मोटर साइकिल,**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 23/24.10.2020 की रात्रि थाना कांधला पुलिस टीम द्वारा मयूर तिराहे के पास से वाहन चोर साबिर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का वाहन चोर है, पूछतांछ पर गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से वाहन चोरी करना स्वीकार किया।

इस संबंध में थाना कांधला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–साबिर निवासी मोहल्ला गुजरान कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी

1–कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 मोटर साइकिल

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

एसटीएफःफर्जी Facebook Profile बनाकर व लोगों की Facebook Profile हैक कर Friend List पर एड लोगों को मैसेन्जर पर चैट कर, खुद को मुसीबत में होने का झांसा देकर, फर्जी नाम पते पर खोले गये Paytm, Phonepe, Googlepay आदि UPI Accounts में रूपये जमा कराकर, आनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के सरगना सहित अभियुक्त साइबर क्राइम का गढ़ कहे जाने वाले थाना क्षेत्र गोवर्धन जनपद मथुरा से गिरफ्तार

दिनांकः 23–10–2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को फर्जी Facebook Profile बनाकर व लोगों की Facebook Profile हैक कर Friend List पर एड लोगों को मैसेन्जर पर चैट कर खुद को मुसीबत में होने का झाँसा देकर फर्जी नाम पते पर खोले गये Paytm, Phonepe, Googlepay आदि UPI Accounts में रूपये जमा कराकर, आनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के सरगना सहित अभियुक्तों को साइबर क्राइम का गढ़ कहे जाने वाले थाना क्षेत्र गोवर्धन जनपद मथुरा से गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :–

1. शराफत उर्फ काला पुत्र कासिम निवासी ग्राम–मडौरा, थाना गोवर्धन, जनपद मथुरा।
2. सुखदीन खांन पुत्र स्व0 शरीफ खान निवासी ग्राम–मडौरा, थाना गोवर्धन जनपद मथुरा।

बरामदगी–

1. 03 अदद मोबाइल।

गिरफ्तारी का स्थान व समयः–

दिनांक 23.10.2020, स्थान गोवर्धन, जनपद मथुरा, समय 16:50 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से फर्जी Facebook Profile बनाकर व लोगों की Facebook Profile हैक कर Friend List पर एड लोगों को मैसेन्जर पर चैट

कर खुद को मुसीबत में होने का झांसा देकर फर्जी नाम पते पर खोले गये Paytm, Phonepe, Googlepay आदि UPI Accounts में रूपये जमा कराकर, आनलाइन ठगी करने वाले गिरोहों के सक्रिय होने की सचूनाएं प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में श्री विशाल विक्रम सिंह, प्रभारी पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण मे एस0टी0एफ0 मुख्यालय की साइबर टीम को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम मे मुख्यालय स्थित टीम

द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि श्री राजेन्द्र तिवारी, मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के नाम से सोशल मीडिया (फेसबुक) पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों से धन उगाही करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार गुप्ता उपनिदेशक, मुख्य सचिव कार्यालय, उ0प्र0 शासन लोक भवन, उ0प्र0 सचिवालय लखनऊ के द्वारा थाना साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, लखनऊ पर दिनांक 10.09.2020 को मु0अ0सं0 05/2020 धारा 419/420 भादवि, 66(सी), 66(डी) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त सूचना को Facebook.com से प्राप्त IP Logs व इलेक्ट्रानिक सर्विलांस के माध्यम से विकसित करते हुए मुखबिर खास द्वारा मिली सूचना के आधार पर दिनांक 23/10/2020 को समय करीब 16:50 बजे गैंग के सरगना सहित उपरोक्त अभियुक्तों को साइबर क्राइम का गढ़ कहे जाने वाले गोवर्धन जनपद मथुरा से एसटीएफ व थाना साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन लखनऊ की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ में उपरोक्त गिरफ्तार गैंग के सरगना सराफत उर्फ काला ने बताया कि साबिर पुत्र जमली निवासी ग्राम मडौरा थाना गोवर्धन जनपद मथुरा कई वर्षों से Facebook Profile हैक कर/फर्जी Facebook Profile बनाककर लोगों को मैसेन्जर पर चैट कर खुद को मुसीबत में होने का झांसा देकर फर्जी नाम पते पर खोले गये Paytm, Phonepe, Googlepay आदि UPI Accounts में रूपये जमा कराकर, आनलाइन ठगी कर रहा था, साबिर ने ही मुझे भी Facebook Profile हैक करना व दूसरों के नाम की Facebook Profile बनाना सिखाया था। मेरे अतिरिक्त मेरे गॉव मडौरा व बगल के गॉव देवसेरस के लगभग 100 से 150 लोगों ने साबिर से ही यह काम सीख कर आनलाइन ठगी/धन उगाही कर रहे है। हम लोग रेण्डम नम्बर को फेसबुक आईडी व पासवर्ड में डालकर हैकिंग का प्रयास करते रहते है, जिन Facebook Profile का आईडी व पासवर्ड एक ही नम्बर होता है वो आसानी से हैक हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों की Facebook Profile को देख कर ही यह पता लग जाता है कि यह व्यक्ति बहुत धनी/रसूखदार है जिसकी बात को उसकी Friend List में एड Friends मना नही करेंगे उनकी प्रोफाइल पिक्चर को कापी कर उनके नाम की Same Facebook Profile बना लेते है और उनकी Friend List में एड कुछ Friends को Friend Request भेज देते है जिसमें से कुछ लोग Friend Request Accept कर लेते है। फिर उनको मैसेन्जर पर Voice Typing के माध्यम से Hi, Hello के Massage भेजते है जो लोग Massage का Reply करते है उनको यह बताते है कि हम मुसीबत (किसी का एक्सीडेण्ट हो गया है या कोई बीमार है हास्पिटल में एडमिट है) मे है तत्काल रूपये की आवश्यकता है। जो लोग रूपये देने के लिए राजी हो जाते है उनको फर्जी नाम पते पर खोले गये Paytm, Phonepe, Googlepay आदि UPI Accounts भेज कर इनमें रूपये Transfer करने को कहते है। राजेन्द्र कुमार नाम की Facebook Profile मैने ही बनायी थी। रूपये जमा कराने के लिए जो Paytm account मैने चैट के माध्यम से दिया था वह बाल अपचारी ने उपलब्ध कराया था इसके अतिरिक्त ठगी मे

प्रयोग होने वाले Paytm, Phonepe, Googlepay आदि UPI Accounts हमारे गॉव के ही कासिम पुत्र जुमरत, आजाद पुत्र चन्द्रू, तौफीक पुत्र सुम्मर, शलीम पुत्र सुम्मर आदि तीन हजार रूपये लेकर देते है। इन Accounts में जो रूपया आता है वह इन्ही लोगो के द्वारा बताये गये अलग–अलग UPI Accounts में Transfer कर दिया जाता है। इसके बाद यह लोग 20 से 30 प्रतिशत रूपये काट कर 70 से 80 प्रतिशत हमें कैश में वापस कर देते है इन्ही लोगों द्वारा इन्टरनेट/कालिंग के लिए असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि राज्यों की सिम रू0 1000/– में दी जाती है। यह सिम फर्जी नाम पते पर होती है। इन सिमों का प्रयोग हम लोग अलग–अलग मोबाइलों पर करते है व कुछ दिन बाद मोबाइल व सिम बदल देते हैं, जिससे पुलिस हमें आसानी से खोज न सके। वर्तमान समय में हमारे गॉव के आसपास के 3–4 गॉवों के युवा जंगलों व खेतों में बैठ कर OLX Fraud व Facebook Profile Hacking कर आनलाइन ठगी कर रहे है। यदि 01–02 गाडियों से पुलिस हमें पकडने आती है तो गॉव के 100–200 लोग घेर कर पुलिस पार्टी पर पथराव कर देते है, जिससे पुलिस हम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए हमरे गॉव में प्रेवेश करने से डरती है। जब कभी अधिक मात्रा में पुलिस हमें पकडने आती है तब हम लोग खेतो में व जंगलों के रास्ते राजस्थान व हरियाणा भाग जाते है। क्योंकि हमारे गॉव राजस्थान व हरियाणा बार्डर से सटे हुए है ।

उपरोक्त बाल अपचारी को 41(1) ए सीआरपीसी का नोटिस मौके पर दिया गया, शेष दो अभियुक्तों को थाना साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जनपद लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0स0 05/2020 धारा 419/420/468/120 बी भादवि व 66(सी)/66(डी) सूचना प्रोद्यौगिकी अधिनियम में दाखिल कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही थाना साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जनपद लखनऊ द्वारा की जा रही है।

<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना खानपुर</u> <u>(प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को 14 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)</u>

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एफ0टी0सी0–03 बुलन्दशहर द्वारा थाना खानपुर पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट में अभियुक्त फकीरा को 14 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

–––––